



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3849]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 27, 2019/अग्रहायण 6, 1941

No. 3849]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 27, 2019/AGRAHAYANA 6, 1941

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2019

का.आ. 4280(अ).— तारीख 15 नवंबर, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.852(अ)., तारीख 15 नवंबर, 2019 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना में, (i) पृष्ठ 6 की पंक्ति 15 में, “वित्तीय लेनदार” को “समुचित विनियामक” पढ़ा जाए; और (ii) पृष्ठ 6 की पंक्ति 17 में “वित्तीय लेनदार” को “समुचित विनियामक” पढ़ा जाए।

[फा. सं.30/4/2017-इंसोल्वेंसी अनुभाग]
ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

CORRIGENDA

New Delhi, the 27th November, 2019

S.O. 4280(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Corporate Affairs vide number G.S.R. 852 (E)., dated the 15th November, 2019, published in the Gazette Of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub –section (i), dated the 15th November, 2019, (i) in page 11, in line 30, for “financial creditor” read as “appropriate regulator”; (ii) in page 11, in line 32, for “financial creditor” read as “appropriate regulator”.

[F. No. 30/4/2017–Insolvency Section]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.